नागौर के चिकित्सा ढांचे को और अधिक सुदृढ़ किया जाए: जिला कलेक्टर पुरोहित

स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिला कलेक्टर ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश

नागौर। नागौर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमावत द्वारा हेल्थ इंडिकेटर्स पर प्रस्तुत किए गए स्लाइड प्रेजेंटेशन पर दी गई रिपोर्ट को देखने के बाद जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने कहा कि नागौर जिले का सरकारी स्तर पर चिकित्सा ढांचा और अधिक मजबूत किया जाए।

जिला कलक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीरता से काम नहीं करने वाले और कम प्रगति वाले प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों व कार्मिकों को अपने काम में सुधार लाना चाहिए। आम आदमी को सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ मिले इसके लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित समस्त मेडिकल स्टाफ पूरे दायित्व के साथ काम करें।

नागौर में स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिला कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने समस्त सरकारी चिकित्सा संस्थानों पर मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक उन्नत करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने सब सेंटर लेवल पर एएनसी रजिस्ट्रेशन बढ़ाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर उप जिला अस्पताल एवं जिला अस्पताल स्तर तक संस्थागत प्रसव को और अधिक बढ़ावा देने, नियमित टीकाकरण का लाभ सभी शिशुओं को प्रदान करने तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के निर्धारित टारगेट पूरे करने के निर्देश दिए।

पुरोहित ने पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड को लेकर ई केवाईसी की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कहा कि इससे जुड़े निर्धारित लक्ष्य जल्द पूरे किए जाएं।

उन्होंने कहा कि आम आदमी को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कैशलेस इलाज मुहैया करवाते हुए अधिक से अधिक पैकेज बुक किए जाएं। जिला कलेक्टर ने राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर उपलब्ध करवाई जा रही निशुल्क दवा एवं निशुल्क जांच सुविधाओं से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पेशेंट वाउचर का बैकलॉग पूरा किया जाए।

जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण की एंट्री यूविन एप पर आवश्यक रूप से की जाए। उन्होंने एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शक्ति दिवस पर एनीमिक बालिकाओं की जांच करते हुए उन्हें आयरन फोलिक एसिड की गोलियां वितरित करें तथा पौष्टिक आहार का सेवन करने की सलाह दें। उन्होंने कहा कि ई औषधि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सभी चिकित्सा संस्थान नियमित रूप से करें। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर बलगम की जांच हेतु सैंपल लिए जाएं और समय रहते मरीजों की पहचान कर उन्हें सुचारू उपचार दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि निक्षय पोर्टल पर सभी क्षय रोगियों का डाटा अपडेट रहे। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र कुमार ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गांव ढाणी स्तर तक चिकित्सा सुविधाओं को और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए। इसके लिए चिकित्सा अधिकारी एएनएम आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ समन्वय स्थापित करते हुए काम करें। गांवों में विशेषकर इन दिनों मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर मजबूत स्वास्थ्य प्रबंधन स्थापित किया जाए।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राकेश कुमावत ने निर्देश दिए कि सभी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कर वहां स्वास्थ्य सेवाओं से जुडी व्यवस्थाओं का जायजा लें और यदि कहीं कमी पाई जाए तो वहां मौके पर ही सुधार करवाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त बीसीएमओ एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे सभी इंडिकेटर्स की मॉनिटरिंग करें। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश वर्मा, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शीशराम चौधरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम अधिकारी राजीव सोनी ने भी विचार व्यक्त किए। बैठक में जिला क्षय रोग निवारण अधिकारी डॉक्टर श्रवण राव, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रूपम चौधरी, जिला औषधि भंडार प्रभारी डॉक्टर राजेश पाराशर, खींवसर के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जे.के. सैनी, नागौर के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रतनाराम बिडियासर, डेगाना के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आर के सारण, जायल के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ गणेश नारायण आसोपा, भेरूंदा के बीसीएमओ डॉक्टर राजेंद्र चौधरी,रियां बडी के बीसीएमओ डॉक्टर चैना राम, जिला लेखा प्रबंधक जीवन पाल एपीडेमोलॉजिस्ट साकिर खान, एफसीएलओ सादिक त्यागी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर विजेश, एविडेंस एक्शन के माल सिंह चारण सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे।

मनरेगा मजदूरों के लिए कार्यशाला

मदनगंज-किशनगढ, (निस)। राजकीय विद्यालय तित्यारी में मनरेगा श्रमिकों के स्वास्थ्य को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। शहीद विजेंद्र सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। डॉ मंजू राठी नें कहा श्रमिको को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पडता है। आपात स्थिति में व्यक्ति की जान कैसे बचाई जा सके, इसी उदेश्य को लेकर सीपीआर ट्रेंनिंग कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। उन्होंने खास तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। दुर्घटना के दौरान व्यक्ति की जान बचाने के लिए सीपीआर तकनीक का इस्तेमाल करने के संबंध में बताया। डॉ मंजू राठी नें जाखड सीनियर सेकेंडरी स्कूल तित्यारी में बच्चों सहित स्टॉफ के समक्ष विचार व्यक्त किये।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
मूल आवंटी / अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों के पक्ष में संयुक्त नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप
आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की पंचशील नगर योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या बी-77 क्षेत्रफल 112.50 वर्गमीटर के आवंटी श्रीमती प्रशान्त कॅवर पत्नि श्री महेन्द्र सिंह निवासी भीलवाड़ा की मृत्यु दिनांक 09/05/2023 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों में क्रमशः (1) उमरदीप सिंह राठौड़ पुत्र श्री महेन्द्र सिंह (2) अनुपमा पुत्री श्री महेन्द्र सिंह (3) आरती पुत्री श्री महेन्द्र सिंह निवासी (समस्त तीनों) भीलवाड़ा द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
मूल आवंटी / अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों के पक्ष में संयुक्त 90 ए आदेश के उपरान्त मांग पत्र / पट्ट विलेख की कार्यवाही हेतु आम सूचना का प्रारूप
आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम माकड़वाली के खसरा संख्या 1342, 444 क्षेत्रफल 0.86 हैक्टे. की प्राधिकरण द्वारा 90 ए की कार्यवाही कार्यालय आदेश दिनांक 09.02.2022 के द्वारा श्रीमति शकुन्तला शर्मा के पक्ष में आवासीय प्रयोजनार्थ की गई है। 90 ए की अग्रिम कार्यवाही मांग पत्र / पट्टा विलेख जारी होने से पूर्व ही श्रीमति शकुन्तला शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 24.01.2024 हो चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट के अनुसार मृतक के वारिसों क्रमशः 1. श्री शरद कुमार शर्मा (पुत्र) 2. श्री रजत कुमार शर्मा (पुत्र) पुत्रगण स्व. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा द्वारा 90 ए की अग्रिम कार्यवाही मांग पत्र पट्टा विलेख हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त 90 ए की अग्रिम कार्यवाही मांग पत्र / पट्टा विलेख किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों चाही गई कार्यवाही कर दी जायेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
न.नि.अ/24-25/भवन/123 दिनांक: 15/05/2024
आपत्ति सूचना
श्री महिपाल सिंह पुत्र भी बद्री सिंह निवासी 79 जगदम्बा कॉलोनी गुलाबबाडी अजमेर द्वारा एक सम्पति जिसका ए.एम.सी. नं. 828/31 पुराना 1107/19 नया अंकित है जो पार्क बालुपुरा रोड चैतन्य मार्ग नगरी अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1300 व.मी. है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार हैं।
पूर्व - जायदाद श्री कोली राजपूत पश्चिम - 13 फुट चौड़ा बालुपुरा रोड रास्ता
उत्तर - 5.3 फुट चौड़ी सर्विस लेन दक्षिण - जायदाद श्री तेजपाल की
अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
न.नि.अ/24-25/भवन/118 दिनांक: 15/05/2024
आपत्ति सूचना
श्रीमति राहेला खान पुत्री श्री रफीक खान पत्नी श्री इमरान अल्लारक्खा निवासी 21 मणिक नगर मेन रोड मध्यप्रदेश द्वारा एक सम्पति जिस पर ए.एम.सी. नं. 788/3 अंकित है जो वाकै स्टेशन रोड अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 20.40 व.मी. है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार हैं।
पूर्व - गली रास्ता पश्चिम - जायदाद का अन्य भाग पार्ट-सी
उत्तर - जायदाद का अन्य भाग पार्ट-सी दक्षिण - गली रास्ता
अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
Phone No - 0145-2429972 2429920, E-mail Id -ajmermc@gmail.com Website-www.ajmermc.org
क्रमांक/आर.ओ.टी./502 दिनांक- 15/5/2024
आम सूचना
गृहकर संपति संख्या 8/244 = 189/03 व 3/143 = 3/190 श्री टीकमदास शर्मा पुत्र श्री कालू राम निवासी एम 31 सागर विहार कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर राजस्थान गृहकर / नगरीय विकास कर दाता है। श्री शेख नसीरूद्दीन चिश्ती पुत्र श्री शेख वशीरूद्दीन चिश्ती निवासी 156/5 जमीर मंजिल बडवाव अन्दर कोट, अजमेर ने आवेदन पत्र पर जरिए पारिवारिक सेल डीड/विक्रय पत्र/शपथ पत्र के आधार पर नगरीय विकास कर खाते में कर दाता प्रतिस्थापित किया जाना है। भूखण्ड/मकान की सीमाएं निम्नानुसार है-
पूर्व - जायदाद A.M.C. No. 3 / 141 श्री हारून मोहम्मद की।
पश्चिम - श्री बशीर खां की जायदाद A.M.C. No. 3 / 144
उत्तर - गली रास्ता दक्षिण- गली रास्ता आम
अतः नगरीय विकास कर खाता प्रतिस्थापित के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस मे मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में इस कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करे। बाद मियाद प्रार्थी को करदाता के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जावेगा। उपायुक्त नगर (वि.) निगम अजमेर

जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का समापन

भीलवाड़ा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेन्द्र मार्ग में जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड (मानक) प्रदर्शनी 2023 का समापन समारोह गुरूवार को समाजसेवी गोविन्द प्रसाद सोडानी के मुख्य आतिथ्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक योगेश चन्द्र पारीक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

प्रधानाचार्य डॉ0 श्याम लाल खटीक ने बताया कि जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी में 13 छात्र-छात्राओं के मॉडल्स का चयन राज्य स्तरीय प्रदर्शनी हेतु किया गया जिन्हें अतिथियों द्वारा मोमेन्टो प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रदर्शनी प्रभारी अरुण शर्मा ने जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने बाल वैज्ञानिकों के नये दृष्टिकोण को आत्मसात करने की महता पर जोर डाला। योगेश पारीक ने अपने उद्बोधन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के घटकों को समझाया, जिसमें तर्क संगत दृष्टिकोण रखना, वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर जानकारी स्वीकार करना, तार्किक सोच को बढ़ावा देने के बारे में बताया तथा राज्य स्तर पर चयनित होने वाले बाल वैज्ञानिको को अभिप्रेरित किया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉ0 काश्मीर भट्ट ने बाल वैज्ञानिकों की नई सोच विकसित करने के तरीकों के बारे में बताया। सीबीईओ माण्डल अशोक कुमार मीणा ने कहा कि छात्रों को स्वयं प्रयोग करने चाहिए और अपने सिद्धांत में जो कुछ उन्होंने सीखा, उस की सत्यता का पता लगाना चाहिए। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य रमेश चन्द्र अगनानी, संतोष विश्नोई, शीला मीणा, विनोद कुमार शर्मा व पद्म पाराशर आदि उपस्थित थे तथा भैरूलाल नायक, राजेश कुमार शर्मा, धीरज जोशी, विक्रम सिंह चौधरी, दुर्गालाल जोशी, सरोज त्रिवेदी आदि का सक्रिय सहयोग रहा।

हेल्पडेस्क की स्थापना

भीलवाडा। आमजन को जनआधार के संबंध में आ रही समस्याओं के निस्तारण के लिए आयोजना विभाग ने राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश दिये है। ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी पूनम कुमारी ने बताया कि वर्तमान में राज्य एवं जिला स्तर के साथ-साथ ब्लॉक स्तर पर भी जनाधार हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चूकी है।

ब्लॉक रायपुर में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय में राजकीय कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक हेल्प डेस्क संचालित की जा रही है तथा जो व्यक्ति कार्यालय में नही आ सकते है, वे हेल्पडेस्क प्रभारी सुश्री पूनम कुमारी ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी रायपुर से कार्यालय समय पर मोबाईल नम्बर 8955001861 पर भी सम्पर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते है। जनआधार सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिए न केवल ब्लॉक स्तर पर बल्कि जिला एवं राज्य स्तर पर भी हेल्पडेस्क की स्थापना की गई।

समर मेकअप लुक प्रतियोगिता का आयोजन

ब्यावर, (निसं)। श्री वर्धमान शिक्षण समिति द्वारा संचालित वर्धमान इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग एवं मेकअप आर्टिस्ट विभाग द्वारा बुधवार को समर मेकअप लुक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के समर बीच लुक का मेकअप किया।

थीम आधारित इस प्रतियोगिता में छात्राओं ने क्रमशः गोवा, बाली, मालदीव, ठाीस, वियतनाम, मॉरीशियस, इटली व ब्राज़ील बीच स्थान के अनुरूप लुक किया। जिसमें प्रथम स्थान पर ऐश्वर्या छीपा, मेघा मेघवाल द्वितीय स्थान पर मनीषा लालवानी, यशिका भोजवानी, तृतीय स्थान पर कविता कुमारी रही। महाविद्यालय प्राचार्य डा. आर.सी. लोढ़ा ने छात्राओं की मेकअप कला की प्रशंसा की व भविष्य में अपनी इसी कला के द्वारा उन्हें आगे बढ़ने के लिए

श्री वर्धमान शिक्षण समिति द्वारा समर मेकअप लुक प्रतियोगिता का आयोजन किया।

प्रोत्साहित किया। अकादमिक प्रभारी डा. नीलम लोढा ने छात्राओं के संपूर्ण समर लुक को बारीकी से परख कर छात्राओं द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका सीमा जैन, रितु प्रजापति व पूजा कांजानी ने निभाई। इस अवसर पर व्याख्याता छवि गरवाल, सुमन अठावाल, प्रियंका मंगरोला,सहित समस्त संकाय सदस्य व छात्राएं उपस्थित रही।

कार्यालय नगर परिषद, केकड़ी - राजस्थान
Email ID- npkekri2011@gmail.com (O): 01467-220002, 220019 web site: ww.urban.rajasthan.gov.in/ulbkekri
क्रमांक- न.प.के./कृषि शाखा/2024-25/370 दिनांक: 15-5-2024
आम सूचना (आपत्ति आमंत्रण)
सर्वहितधारी को एवं आमजन को सूचित किया जाता है कि राजस्वग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी में नगरीय क्षेत्र नगर परिषद केकड़ी में स्थित आराजी खसरा नं. 2360, 2361 का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ चाहा गया है। अतः राजस्व ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी नगरीय क्षेत्र नगर परिषद केकड़ी के आराजी खसरा नं. 9376/2421 व 2421 में से मार्गाधिकार दिया जाना है। इस सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद सूचना प्रकाशन के 10 दिवस में प्रस्तुत करावें। बाद मियाद परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर मार्गाधिकार कर दिया जायेगा। सूचित रहे।
आयुक्त नगर परिषद केकड़ी

कार्यालय नगर परिषद, केकड़ी - राजस्थान
Email ID- npkekri2011@gmail.com (O): 01467-220002, 220019 web site: ww.urban.rajasthan.gov.in/ulbkekri
क्रमांक- न.प.के./कृषि शाखा/2024-25/366 दिनांक: 15-5-2024
आम सूचना (आपत्ति आमंत्रण)
सर्वहितधारी को एवं आमजन को सूचित किया जाता है कि राजस्वग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी में नगरीय क्षेत्र नगर परिषद केकड़ी में स्थित आराजी खसरा नं. 265, 266 का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ चाहा गया है। अतः राजस्व ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी नगरीय क्षेत्र नगर परिषद केकड़ी के आराजी खसरा नं. 8810/2024 में से मार्गाधिकार दिया जाना है। इस सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद सूचना प्रकाशन के 10 दिवस में प्रस्तुत करावें। बाद मियाद परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर मार्गाधिकार कर दिया जायेगा। सूचित रहे।
आयुक्त नगर परिषद केकड़ी

इन्सपायर अवार्ड के लिए चयन

इन्सपायर अवार्ड में चयन होने पर विद्यार्थियों का स्वागत किया।

शाहपुरा, (निस)। आदर्श विद्या मन्दिर उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा के विधार्थी नवीन कुमार वर्मा कक्षा-10 का जिला स्तरीय इन्सपायर अवार्ड (मानक) प्रदर्शनी जो कि राजकीय उच्च मा. वि. राजेन्द्र मार्ग भीलवाड़ा में 13 से 15 मई तक आयोजित हुई। इस इन्सपायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी में जिलें से कुल 129 छात्र/ छात्राओं ने भाग लिया था जिनमें से 13 छात्र/ छात्राओं का चयन राज्य स्तरीय प्रदर्शनी हेतु हुआ है विद्यालय अटल टिंकरिंग लैब प्रभारी धनराज सिंह मीणा ने बताया कि विधार्थी नवीन कुमार वर्मा ने स्पीड इन्डीकेटर पर आधारित आईडिया प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया था। विद्यालय प्रधानाचार्य दुर्गा लाल जांगिड़ ने विधार्थी को आगामी प्रदर्शनी हेतु शुभकामना दी।

ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

भीलवाड़ा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भीलवाडा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उपनिदेशक ने बताया कि सत्र 2024-25 व 2024-26 में राज्य की समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एनसीवीटी व एससीवीटी के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया द्वारा प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र 15 मई से आमंत्रित किए गए है। इच्छुक अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के एकीकृत एसएसओ पोर्टल अथवा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए अंतिम तिथि 10 जुलाई है। प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की आयु 01 सितम्बर 2024 को 14 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

सिन्धू ज्योति सेवा समिति का सामाजिक सरोकार

- तेज गर्मी में लोगों को वितरित किया शर्बत

अजमेर, (कासं)। सेवन्थ हेवन के पास छोटी बस्ती पुष्कर निवासी सिन्धू ज्योति सेवा समिति के संरक्षक तेजभान आसवानी द्वारा इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के चलते सामाजिक सरोकार निभाते हुए लोगों को निःशुल्क शर्बत का वितरण किया गया।

सिन्धु ज्योति सेवा समिति के मीडिया प्रभारी रमेश लालवानी ने बताया तेजभान आसवानी ने धर्मपत्नी लक्ष्मी के स्वर्गवास हो जाने पर उनकी देह को अजमेर मेडिकल कॉलेज के छात्रो के अध्ययन के लिए देहदान करने का निश्चय किया। तेजभान आसवानी ने इस अवसर पर बताया कि ब्यावर के पदाधिकारियों की प्रेरणा से स्वग्रीय लक्ष्मी आसवानी की अन्तिम इच्छा के अनुसार उनकी देह को बैंड बाजो के साथ पुष्कर में उनके निवास स्थान से लेकर सिक्ख समाज के गुरूद्वारे तक लाया गया था। तेजभान आसवानीएसिन्धी समाज के धार्मिक कार्यक्रमों समाज सेवा के कार्योएटोल्फा में सहयोगएआर्थिक रूप से कमजोर लोगो की कन्याओ के विवाह में सहयोग, भंडारों में सहयोग सहित अनेक कार्य, अजमेर, ब्यावर व पुष्कर सहित अन्य क्षेत्रों में निरन्तर करते आ रहे हैं। इस अवसर पर श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ की ओर से तेजभान आसवानी को सम्मानित किया गया।

M/S SHIV GRANITES
81 FRIENDS COLONY, KHODA GANESH ROAD MADANGANJ-KISHANGARH-305801, DIST AJMER (RAJ.) Mobile NO 9829819221
आम सूचना
मेरी पक्षकार फर्म मैसर्स शिव ग्रेनाइटस (रजिस्ट्रेशन नं. RF/AJM/2021/1923 dated 10 जून 2021, जिसका कार्यालय 81 फ्रेंड्स कॉलोनी, खोडा गणेश रोड, मदनगंज -किशनगढ़ 305801 जिला अजमेर (राज.) में हैं, जो की एक साझेदारी फर्म हैं, जिसके दो (2) साझेदार क्रमशः 1-ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री जयनारायण शर्मा, 2-रेणु शर्मा पत्नी श्री भगवान सहाय शर्मा थे। 1. उक्त साझेदारों ने आपसी सहमति से भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री शिवकरन शर्मा को दिनांक 6 मई 2024 को साझेदार बनाया गया, जिसको पार्टनरशिप डीड दिनांक 6 मई 2024 के तहत सभी साझेदारों द्वारा निष्पादित किया गया। 2. उसके पश्चात उक्त साझेदारों में से ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री जयनारायण शर्मा ने आपसी सहमति द्वारा उक्त साझेदारी फर्म से दिनांक 7 मई 2024 से अवकाश ग्रहण कर लिया है, जिसको पार्टनरशिप डीड दिनांक 7 मई 2024 के तहत सभी साझेदारों द्वारा निष्पादित किया गया। अब साझेदारी फर्म में दो साझेदार क्रमशः 1-रेणु शर्मा पत्नी श्री भगवान सहाय शर्मा, 2- भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री शिवकरन शर्मा साझेदार है। फर्म का कार्यालय पता 81 फ्रेंड्स कॉलोनी, खोडा गणेश रोड मदनगंज किशनगढ़-305801 जिला अजमेर (राज.) है। अतः इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के अन्दर किसी भी कार्य दिवस में अपनी आपत्ति रजिस्ट्रार ऑफ फर्म (जिला उद्योग केंद्र, अजमेर) में प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
स्थान-किशनगढ़, दिनांक- 15 मई 2024, भवदीय-शिव ग्रेनाइटस, किशनगढ़

एक गिरफ्तार

मकराना, (निसं)। पुलिस ने अवैध शराब सहित एक आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने बोरावड़ में अवैध देशी शराब सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार हैड कांस्टेबल हीरालाल मय जाब्ता के गश्त कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर मनाना सरकारी अस्पताल के पास सफेद प्लास्टिक के कट्टे में शराब बेचने की फिराक में खड़े व्यक्ति को रोका तो वह भागने लगा। पुलिस ने उसे घेरकर पकड़ लिया। कट्टे में 58 पव्वे ढोला मारू के थे।

LSG/BEAWAR/MUT/2024-25/85214 DATE:- 09-05-2024
कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर
क्रमांक/नगरीय विकास कर / 2024-25/535 दिनांक- 15-05-2024
सार्वजनिक सूचना
श्री भगवानदास खत्री पुत्र श्री चन्दीराम खत्री निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 6, प्रेमनगर के पास फतेहपुरिया दोयम खसरा नं. 825832 से 836 636 प्लाट नं. 2ए क्षेत्रफल 108.00 वर्गगज जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री डॉ. दुर्गाप्रसाद शर्मा के नाम दर्ज है। रजि. बेचान-नामा दिनांक 15.09.2017, 20.12.2023 एवं स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर

निशुल्क सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन में सामाजिक समरसता की मिसाल पेश की

भीलवाडा। शहर के मंसूरी परिवार में जब भी कोई बेटी शादी योग्य होती है, तब उनके साथ ही सामूहिक विवाह आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में सभी धर्मो की विवाह योग्य और गरीब परिवारों के बेटे-बेटियों को शामिल किया जाता है। मंसूरी परिवार का उसूल है कि निकाह में फिजूल खर्च न कर दहेज सहित सारा पैसा सामूहिक विवाह सम्मेलन में खर्च करे ताकि सर्व समाज की गरीब बेटियों की शादी आसानी से हो सके।

अंजुमन स्कूल में हुए निशुल्क सर्वधर्म छठे सामूहिक विवाह सम्मेलन में सामाजिक समरसता की अनुठी मिसाल पेश की गई। शास्त्री नगर निवासी निजाम मंसूरी ने पन्द्रह साल पहले दहेज का विरोध करने के लिए एक बीडा उठाया। उनका विचार था कि क्यों न एक ऐसी पहल की जाए, जिससे सभी धर्म के लोग आकर एक पांडाल के नीचे कम खर्चे पर अपने लडकी व लडके का विवाह करवा सकें। मंसूरी परिवार के इस सम्मेलन का उद्देश्य दहेज का विरोध कर बेटियों का दहेज रहित विवाह करना है। निजाम के भाई हाजी मोहम्मद उमर मंसूरी ने भी दहेज पर रोक का आव्हान किया और कहां कि मंसूरी परिवार ने जो दहेज के खिलाफ आवाज उठाई है यह सिर्फ एक कौम की बात नहीं है, बल्कि लेन-देन का रिवाज हर कौम को समाप्त करना चाहिए। मंसूरी परिवार की दो बेटियों के विवाह के साथ वर्ष 2007 में निशुल्क प्रथम सर्वधर्म प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन की शुरुआत की। जो एक दहेज प्रथा व जाति-पाति पर भी करारा जवाब था। इसी तरह तेजाजी चोक में 2011 में द्वितीय विवाह सम्मेलन के दौरान परिवार की दो बेटियों व तृतीय विवाह सम्मेलन 2014 में एक बेटी के साथ दहेज रहित निशुल्क विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। वहीं वर्ष 2017 में निजाम ने अपनी बेटी तबस्सुम व भाई हाजी उमर की दो बेटियों यास्मीन और सिमरन के साथ 32 जोडो का निकाह करवाया। मंसूरी परिवार अब तक पांच सम्मेलनों में घर की बेटियों के साथ ही 223 विवाह योग्य जोडो की शादियां करवा चुका है। आयोजक निजाम मंसूरी ने बताया कि भाई उमर मंसूरी की पुत्री जोया मंसूरी के निकाह के दौरान छठे दहेज रहित सामुहिक विवाह सम्मेलन में सौरगर, पठान, मंसूरी व शाह सहित सर्व समाज के 38 जोडे हमसफर बने। शादी सुदा जोडो को आशीर्वाद देने के लिए शहर के कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की।

भीलवाडा शहर के मंसूरी परिवार में सामूहिक विवाह आयोजित किया।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन
जिला युवा अधिकारी कार्यालय अजमेर (राज.)
क्रमांक- नेयुके/ अज./24-25/14 दिनांक: 15-5-2024
नीलामी सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की स्थानीय कार्यालय नकारा / बेशी / अनुपयोगी सामान / रद्दी/अप्रचलित सामग्री / (अनुमानित पुस्तक मूल्य राशि 155000 रूपये) की सार्वजनिक खुली बोली द्वारा नीलामी युवा आवास परिसर में दिनांक 03 जून, 2024 को दोपहर 1 बजे रखी गई है नीलामी में जीएसटी फर्म वाले व्यक्ति/फर्म/कबाड़ीधारक को ही सम्मिलित किया जायेगा। नीलामी से सम्बंधित शर्तें व नीलाम किये जाने वाली सामग्री का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में किया जा सकता है।
जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र,अजमेर राजस्थान

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान
क्रमांक -न.प.बि/निर्माण स्वी./2024/639 आम सूचना दिनांक : 14.5.2024
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपत्ति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है, बाद मियाद, गुजरने पर कोई उज्र / आपत्ति मान्य नहीं होगी।
भवन निर्माण

फाइल नं.	आवेदक नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
26	रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. जरिए मैनेजर कर्ता राजकुमार काल्या पुत्र बसन्ती लाल काल्या	राजदरबार सिटी बिजयनगर ब्लॉक नं. ए-5 भू.सं. ए-25	231.871 SQ.MTR	आवासीय
27	रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. जरिए मैनेजर कर्ता राजकुमार काल्या पुत्र बसन्ती लाल काल्या	राजदरबार सिटी बिजयनगर ब्लॉक नं. ए-5 भू.सं. ए-14	231.871 SQ.MTR	आवासीय
28	रविन्द्रसिंह चौहान पुत्र फणीन्द्र सिंह चौहान	अहिंसा विहार बिजयनगर ख.सं. 54/1/4 व 57/1/4 भू.सं. 38	111.48 SQ.MTR	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर